RERA Reg. No.
UPRERAPRJ268857/10/2026

हिमाद्रि योजना

सेक्टर-16B दिल्ली रोड



श्री योगी आदित्यनाथ
मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

की हिमाद्रि योजना में आवासीय, एवं मिश्रित भूमि उपयोग
भूखण्डों को ई-नीलामी के माध्यम से प्राप्त करने का

स्वर्णिम अवसर!!



ई-नीलामी पंजीकरण अवधि 06-11-2026 से 23-11-2026

पंजीकरण: https://public.erpupda.com

*नियम व शर्तें लागू
उपयोग की गई तस्वीरें केवल प्रस्तुतीकरण हेतु हैं।

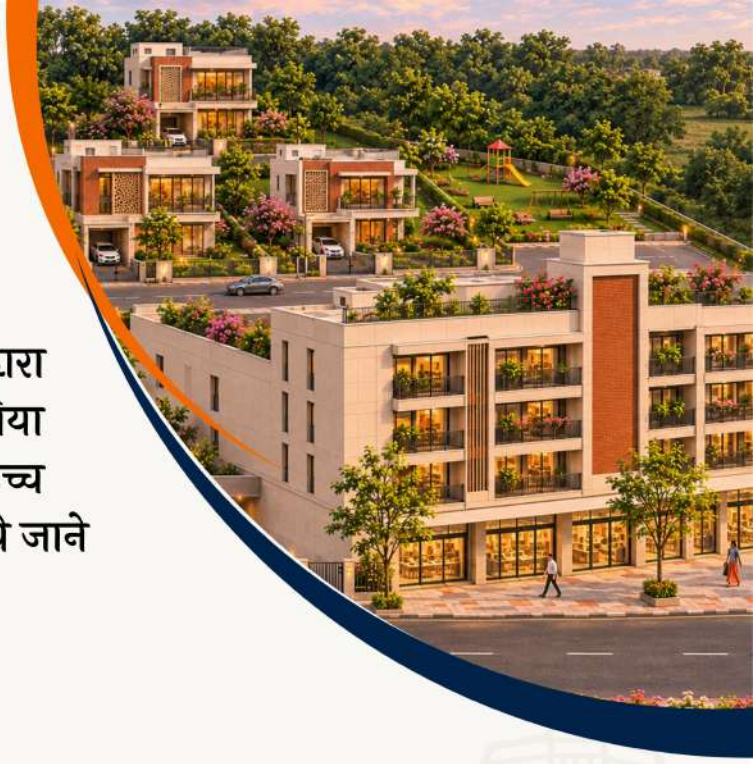
अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए

+91 79065 98448
सोम -शनि : 10:00 AM - 5:00 PM

mdamoradabad.upgov.in
mrdda@nic.in

कार्यालय:
सेक्टर 13, दिल्ली रोड, नया मुरादाबाद,
मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश

@mdambup | @mdambup | @mdambup | @mdambup



नया मुरादाबाद के सेक्टर-16 में प्राधिकरण द्वारा अर्जित भूमि पर नियोजित भूखण्ड परन्तु जामिया अरबिया हयातुलउलूम मुरादाबाद द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में वादग्रस्त भूमि को अवमुक्त कराये जाने का विवरण-

नया मुरादाबाद आवासीय योजना के अंतर्गत लगभग 175.44 हेक्टेयर भूमि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अर्जित की गई थी। इस भूमि में स्थित मदरसा जामिया अरबिया हयातुलउलूम द्वारा अपनी वक्फ भूमि को भूमि अर्जन से मुक्त कराने हेतु वर्ष 2004 से माननीय उच्च न्यायालय एवं शासन स्तर पर विभिन्न याचिकाएँ एवं प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किए गए। प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर शासन एवं न्यायालय के समक्ष भूमि अर्जन की वैधता तथा अधिग्रहण प्रक्रिया का पक्ष प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया गया।

इसके उपरांत संस्थान द्वारा पुनः वर्ष 2015 एवं 2016 में भी विभिन्न न्यायिक एवं प्रशासनिक स्तरों पर भूमि मुक्त कराने के प्रयास किए गए। प्राधिकरण द्वारा सभी मामलों में विधिक एवं तथ्यात्मक पक्ष प्रस्तुत करते हुए भूमि अर्जन की प्रक्रिया को विधिसम्मत सिद्ध किया गया। साथ ही, संस्थान की आवश्यकताओं के दृष्टिगत नियमानुसार वैकल्पिक समाधान उपलब्ध कराने के प्रयास भी किए गए।

अंततः माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 27.04.2026 को पारित अपने निर्णय में भूमि अर्जन की प्रक्रिया को वैध ठहराते हुए प्रकरण का निस्तारण किया। इसके उपरांत प्राधिकरण द्वारा संस्थान की व्यावहारिक एवं आवासीय आवश्यकताओं के अनुरूप ई-नीलामी के माध्यम से भूखंड उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है। इससे वर्षों से लंबित विवाद का समाधान हुआ तथा सेक्टर-16 के नियोजित विकास की प्रक्रिया को गति मिली।

नेतृत्व संदेश

हिमाद्रि, सेक्टर-16B, दिल्ली रोड



आञ्जनेय कुमार सिंह

आई. ए. एस

मंडलायुक्त, मुरादाबाद

न्यू मुरादाबाद सेक्टर–16B मुरादाबाद के नियोजित एवं आधुनिक शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह परियोजना गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना, संतुलित भूमि उपयोग एवं नागरिक सुविधाओं के माध्यम से भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित की जा रही है। मुझे विश्वास है कि यह सेक्टर मुरादाबाद की नई पहचान बनेगा तथा सुरक्षित निवेश, उत्कृष्ट जीवनशैली एवं सतत विकास का सशक्त उदाहरण स्थापित करेगा।

अनुभव सिंह

आई. ए. एस

उपाध्यक्ष, एमडीए

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का उद्देश्य केवल भूमि का विकास नहीं, बल्कि सुव्यवस्थित एवं नागरिक-केंद्रित शहरी वातावरण का निर्माण करना है। सेक्टर–16B में आधुनिक सड़क नेटवर्क, समूह आवास, मिश्रित भूमि उपयोग, हरित क्षेत्र एवं सार्वजनिक सुविधाओं को समग्र दृष्टिकोण के साथ विकसित किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि प्रत्येक विकास कार्य गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के साथ नागरिकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरे।

देवेंद्र प्रताप सिंह

पी .सी. एस

सचिव, एमडीए

सेक्टर–16B के विकास का प्रत्येक चरण पारदर्शी प्रशासन, सरल प्रक्रियाओं एवं उत्तरदायी कार्यप्रणाली के साथ संचालित किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य नागरिकों एवं निवेशकों को विश्वसनीय सेवाएँ, स्पष्ट प्रक्रियाएँ तथा गुणवत्तापूर्ण शहरी अवसंरचना उपलब्ध कराना है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण नियोजित विकास एवं जनविश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस महत्वाकांक्षी परियोजना को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।



नया मुरादाबाद – दिल्ली रोड पर सुनियोजित विकास!

- दिल्ली–लखनऊ हाईवे (एन0एच0-9) पर स्थित
- टीएमयू विश्वविद्यालय और ब्राइटस्टार हॉस्पिटल से केवल 5 मिनट की दूरी
- रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से मात्र 20 मिनट की दूरी
- मुरादाबाद एयरपोर्ट से मात्र 30 मिनट की दूरी
- प्रमुख स्कूलों और कोचिंग संस्थानों से मात्र 10 मिनट की दूरी
- दिल्ली NCR, बरेली और रामपुर तक सहज एवं सुगम कनेक्टिविटी
- जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क, नैनीताल जैसे पर्यटन स्थल तथा हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे धार्मिक/पर्यटक न्यूनतम परिभ्रमण दूरी
- हैण्डीक्राफ्ट निर्यातक नगरों में प्रथम नगर

अवस्थिति

हिमाद्रि योजना के शर्तें एवं नियम

योजना के बारे में

1	योजना का नाम	हिमाद्रि योजना, सेक्टर 16B
2	पंजीकरण अवधि	06.11.2026 – 23.11.2026
3	ई-नीलामी तिथि	26.11.2026 समय-प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक
4	प्राधिकरण में संबंधित अधिकारी का संपर्क विवरण	सम्पत्ति प्रभारी, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण संपर्क संख्या: +91 79065 98448
5	योजना हेतु आवंटन की पद्धति	ई-नीलामी द्वारा
6	पंजीकरण वेबसाईट एवं आवेदन शुल्क	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के पोर्टल https://public.erpupda.com से पंजीकरण किया जा सकता है। पंजीकरण राशि के साथ आवेदन शुल्क - ₹1,500/- जमा करना अनिवार्य होगा।
7	पंजीकरण पुस्तिका की उपलब्धता	आवेदक पंजीकरण पुस्तिका प्राधिकरण की वेबसाइट www.mdamoradabad.up.gov.in एवं https://public.erpupda.com से नि:शुल्क डाउनलोड कर जानकारी प्राप्त का सकते हैं।
8	RERA पंजीकरण संख्या	UPRERAPRJ268857/10/2026
9	RERA क्यूआर कोड	

2. भूखण्ड का विवरण एवं पंजीकरण धनराशि



क्र0 स0	सम्पत्ति संख्या	सम्पत्ति श्रेणी	अनुमानित क्षेत्रफल (व0मी0)	भूखण्ड के सम्मुख सड़क की चौड़ाई	नीलामी हेतु आरक्षित दर	सम्पत्ति की अनुमानित कीमत	पंजीकरण धनराशि (कुल कीमत का 10%)
1	MU-03	Mixed Land Use/Group Housing	2723.81	45M/12M Wide Road	₹66,500.00	₹18,11,33,365.00	₹1,00,00,000.00
2	B-218	Residential	549	18M Wide Road	₹38,000.00	₹2,08,62,000.00	₹20,86,200.00
3	B-219	Residential	569	18M/09M Wide Road	₹38,000.00	₹2,16,22,000.00	₹21,62,200.00
4	B-220	Residential	533	9M Wide Road	₹38,000.00	₹2,02,54,000.00	₹20,25,400.00

*नोट:

1. भूखण्ड की लागत अनुमानित है, जो योजना के विकास के दौरान कतिपय अपरिहार्य कारणों से बढ़ भी सकती है। भूखण्ड की अनुमानित लागत के अतिरिक्त लोकेशन चार्जेस एवं फ्रीहोल्ड शुल्क देय होंगे।
2. *प्रक्रिया के दौरान संपत्तियों की संख्या बढ़ या घट सकती है तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

ई-नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु नियम एवं शर्तें-

1. ई-नीलामी हेतु प्रस्तावित सम्पत्ति ''जहां हैं-जैसे हैं'' के आधार पर निस्तारित किये जायेंगे। ई-नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक क्रेता नीलामी सम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशित होने तथा ई-नीलामी पोर्टल पर प्राधिकरण का ऑफर प्रदर्शित होने के उपरान्त किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित सम्पत्ति का स्थल निरीक्षण कर सकते हैं। उच्चतम बोली प्राप्त होने अथवा आवंटन पत्र निर्गत होने के उपरान्त आवेदक का सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी प्रकार की कमी का उल्लेख करना मान्य नहीं होगा। इच्छुक क्रेतागण समय-समय पर किसी भी ऑफर को देखने हेतु उक्त पोर्टल पर लॉगिन करते रहें, जिससे उपलब्ध सम्पत्तियों की जानकारी एवं किसी भी शर्त में संशोधन का भी संज्ञान हो सके।
2. नीलामी में 18 वर्ष से अधिक आयु का भारतीय नागरिक ही भाग ले सकता है।
3. सम्पत्ति हेतु न्यूनतम बोली आरक्षित दर के ऊपर न्यूनतम 1% के अन्तर पर होगी जो ई-नीलामी प्रक्रिया में स्वतः दिखेगा। अधिकतम सीमा कोई भी हो सकती है।
4. रजिस्ट्रेशन हेतु पंजीकरण धनराशि का भुगतान ऑनलाइन/आर.टी.जी.एस. के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा। जमा की जाने वाली पंजीकरण धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-

क्रम सं0	सम्पत्ति का प्रकार	जमा की जाने वाली पंजीकरण धनराशि (रू0)
01	आवासीय सम्पत्ति सम्पत्ति	मूल्य का 10 प्रतिशत
02	मिश्रित भूमि उपयोग/ग्रुप हाउसिंग	रू01.00 करोड़

5. जिन सम्पत्तियों हेतु रू0 01 करोड़ जमा कराये गये हैं। उन सम्पत्तियों कें आवेदकों को नीलामी उपरान्त सम्पत्ति के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत, पंजीकरण धनराशि को समायोजित करते हुए बोली स्वीकार पत्र (Acceptance Letter) निर्गत होने के 15 दिवस में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। उक्त अवधि में धनराशि जमा न कराये जाने पर पंजीकरण धनराशि जब्त करते हुए नीलामी निरस्त कर दी जाएगी।
6. सम्पत्ति की 25 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने के एक माह के अन्दर प्राधिकरण कोष में जमा करानी अनिवार्य होगा। उक्त अवधि में धनराशि जमा न कराये जाने पर आवंटन निरस्त करते हुए जमा 10 प्रतिशत धनराशि जब्त कर ली जायेगी

7. अवशेष 65 प्रतिशत धनराशि 03 (तीन) मासिक ब्याज रहित किस्तों में अथवा MCLR+1 प्रतिशत (नीलामी की दिनांक को प्रभावी) ब्याज के साथ 08 (आठ) त्रैमासिक किस्तो में देय होगी। विलम्ब से जमा करने पर किस्तो में सम्मिलित ब्याज के अतिरिक्त 02 (दो) प्रतिशत अतिरिक्त दण्ड ब्याज देय होगा।
8. यदि आवेदक द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष उच्चतम बोली की अवशेष राशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर एकमुश्त जमा किया जाता है तो सम्पत्ति मूल्य पर 2 प्रतिशत की विशेष छूट अनुमन्य होगी, जिसे अन्य शुल्कों में निबन्धन से पूर्व समायोजित किया जायेगा।
9. आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग 1 द्वारा निर्गत शासनादेश सं0 1512/आठ-1-25/ई1820505 दिनांक 25, दिसम्बर, 2025 के क्रम में कॉर्नर सम्पत्ति पर 05 प्रतिशत, पार्क फेसिंग 05 प्रतिशत तथा 18.00 मीटर एवं उससे अधिक चौड़ी सड़क पर 05 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य देय होगाा। यदि किसी सम्पत्ति में तीनों गुण हो तो उसका मूल्य से 12 प्रतिशत अधिक देय होगा। उक्त के अतिरिक्त 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड, विलेख शुल्क, वाटर-सीवर कनैक्शन शुल्क अतिरिक्त देय होंगे।
10. 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड, विलेख शुल्क, वाटर-सीवर कनैक्शन शुल्क अतिरिक्त देय होंगे।
11. सम्पत्ति जिस योजना में स्थित है, उस योजना के स्थानीय निकाय के हस्तान्तरण तक नियमानुसार निर्धारित दरों पर अनुरक्षण/रख-रखाव शुल्क जो प्राधिकरण बोर्ड से स्वीकृत हैं, देय होगा।
12. आवंटन पत्र में निर्धारित अन्तिम किश्त की तिथि के अगले दिवस से अथवा कब्जे की तिथि से, जो भी पहले हो अरोपित होगा।
13. सभी प्रकार के देय शासकीय करों का भुगतान सम्पत्ति के मूल्य के अतिरिक्त आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
14. आवंटित सम्पत्ति पर किसी अर्जन सम्बन्धी विवाद अथवा किसी न्यायालय में विधिक वाद अथवा अन्य किसी अपरिहार्य कारण से सम्पत्ति का कब्जा देने में विलम्ब/बाधा की स्थिति में आवंटी को कोई क्षतिपूर्ति/ब्याज देय नहीं होगा तथा ऐसी दशा में आवंटी की मांग पर आवंटन निरस्त करते हुये जमा धनराशि ब्याज रहित वापस कर दी जायेगी।
15. संपत्ति का कब्जा विक्रय विलेख के निर्बंधन के उपरांत ही दिया जाएगा।
16. आवंटी द्वारा रू0 50 लाख अथवा अधिक मूल्य के भूखण्डों पर (कॉर्नर शुल्क एवं 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड चार्ज जोड़कर) सम्पूर्ण मूल्य की 01 प्रतिशत टी.डी.एस. धनराशि प्राधिकरण के पैन संख्या **AAJFM7731M** पर जमा कराना अनिवार्य होगा, जो सम्पूर्ण भूखण्ड के मूल्य के अन्तर्गत ही होगा। उक्त के पश्चात ही भूखण्ड का विक्रय विलेख निष्पादित किया जायेगा।
17. आवंटित सम्पत्ति पर प्राधिकरण से नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराने के पश्चात ही निर्माण अनुमन्य होगा एवं निर्माण सम्बन्धी सभी नियम व शर्तें आवंटी को मान्य होंगीं।
18. आवंटित सम्पत्ति के लिए भू-आच्छादन, एफ.ए.आर. एवं ऊंचाई मानचित्र स्वीकृति के समय प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार ही अनुमन्य होंगे।
19. स्थल पर पैमाइश के समय यदि क्षेत्रफल में वृद्धि अथवा कमी होती है, तो वृद्धि होने पर 10 प्रतिशत आवंटन दर पर एवं शेष 90 प्रतिशत तद्समय लागू सर्किल दर अथवा बोली दर, जो भी अधिक हो जमा करनी होगी जो आवंटी को

मान्य होगा एवं कमी होने पर अतिरिक्त जमा धनराशि का समायोजन आवेदक द्वारा देय धनराशि में से करते हुये यदि कोई धनराशि अवशेष होती है, तो आवंटी को बिना ब्याज के रिफण्ड कर दी जायेगी।

20. किसी भी ई-नीलामी को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में निहित है, जिसके विरूद्ध बोलीदाता का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
21. आवंटन उपरान्त यदि आवंटी द्वारा आवंटन पत्र में उल्लेखित किश्तों के भुगतान की निर्धारित तिथि से पूर्व सम्पत्ति को लेने से इन्कार किया जाता है तथा जमा धनराशि की वापसी की मांग की जाती है, तो आवंटन निरस्त कर सम्पूर्ण पंजीकरण धनराशि जब्त करते हुये, सम्पत्ति समर्पण हेतु प्रार्थना पत्र की दिनांक तक पंजीकरण धनराशि के अतिरिक्त सम्पत्ति के सापेक्ष कुल जमा धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।
22. आवंटी द्वारा लगातार 03 किस्तें जमा न करने उन्हें डिफाल्टर माना जायेगा तथा आवंटन निरस्त करने के उपरान्त प्रस्तर 20 के अनुसार पंजीकरण धनराशि जब्त करते हुय एवं सम्पत्ति के सापेक्ष जमा धनराशि में तद्नुसार कटौती कर अवशेष धनराशि वापस कर दी जायेगा।
23. भूखण्ड का कब्जा रजिस्ट्री उपरान्त अथवा विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त, जो पहले हो, दिया जायेगा।
24. आवेदक द्वारा दी गयी सूचना/अभिलेख असत्य/कूटरचित पाये जाने पर आवंटन निरस्त कर समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं यदि विक्रय विलेख के पश्चात उक्त प्रकार का कोई तथ्य प्राधिकरण के संज्ञान में आता है, तो विक्रय मूल्य की सम्पूर्ण धनराशि जब्त करते हुये नियमानुसार विक्रय विलेख के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
25. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र मुरादाबाद होगा।
26. किसी भी सम्पत्ति की ई-नीलामी तभी प्रारम्भ होगी जब न्यूनतम तीन आवेदकों द्वारा आवेदन कर पंजीकरण कराया गया हो।
27. ई-नीलामी हेतु निर्धारित अवधि अथवा नीलामी प्रारम्भ की तिथि एवं समय से पूर्व पंजीकरण धनराशि प्राप्त नहीं होती है तो, आवेदक नीलामी में प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे। इस हेतु प्राधिकरण का सुझाव है कि पंजीकरण समाप्ति तिथि के कम से कम तीन दिवस पूर्व तक ही पंजीकरण धनराशि का भुगतान कर दिया जाये।
28. ई-नीलामी में असफल आवेदकों द्वारा जमा पंजीकरण धनराशि नीलामी की तिथि से 30 दिवस में ब्याज रहित वापस कर दी जायेगी।
29. यदि ई-नीलामी प्रक्रिया में पूर्व निर्धारित समापन समय की समयावधि पूर्ण होने के अन्तिम पांच मिनट में किसी ई-नीलामीदाता द्वारा विड की जाती है, तो ई-नीलामी का समय 05 मिनट स्वतः बढ़ जायेगा तथा यह प्रक्रिया नीलामी के पूर्ण होने तक चलती रहेगी।
30. सम्पत्ति जिस प्रयोजन हेतु आवंटित की गई है, उसी प्रयोजन में उपयोग की जाएगी।
31. ई-नीलामी प्रक्रिया में पंजीकरण करते ही स्वतः यह मान्य होगा कि आवेदक द्वारा सभी शर्तें को पढ़ एवं समझ लिया गया है तथा उसे सभी शर्तें मान्य हैं।

सचिव **उपाध्यक्ष**

आवेदन प्रक्रिया-

1. इच्छुक व्यक्ति/संस्था ई-नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु प्राधिकरण के ई-नीलामी पोर्टल को अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र पर https://public.erpupda.com टाइप कर क्लिक करेंगे, जिस पर मुख्य पेज प्रदर्शित होगा। मुख्य पेज पर ही ई-नीलामी प्रक्रिया के सम्बन्ध में ट्रेनिंग एवं जानकारी के लिए विवरण को क्लिक करने पर सभी जानकारी उपलब्ध होगी। साथ ही ई-नीलामी हेतु उपलब्ध सम्पत्तियों एवं शर्तें इत्यादि को डाउनलोड करके समस्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यदि आवेदक ई-नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक है, तो सर्वप्रथम विवरण पुस्तिका को पोर्टल से क्रय करके ही पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं। तत्पश्चात ही ई-नीलामी हेतु पंजीकरण प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
2. पंजीकरण धनराशि के रूप में सम्पत्ति के कुल मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यू.पी.आई. एवं आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा।

 नोटः-

 - आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से पंजीकरण धनराशि के भुगतान हेतु पेमेंट गेटवे से चालान प्रिंट करते हुए सम्पत्ति के सापेक्ष देय पंजीकरण धनराशि चालान में अंकित खाता संख्या एवं बैंक नाम से भुगतान करना होगा।
 - यदि आई.सी.आई.सी.आई पेमेंट गेटवे में किसी भी प्रकार की असुविधा है तो मोबाइल नंबर +91-93249 53820 पर एवं ई-मेल cmssupport@icicibank.com पर संपर्क करें।
 - प्राधिकरण की वेबसाइट mdamoradabad.up.gov.in पर स्थित लिंक से भी ई-नीलामी पोर्टल पर जा सकते हैं।
3. ई -नीलामी हेतु पोर्टल https://public.erpupda.com से ही नियम एवं शर्तों की पुस्तिका नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एवं यू.पी.आई. के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करने के पश्चात क्रय किया जाएगा।
4. पंजीकरण के समय पंजीकरण धनराशि जमा करने से पूर्व पोर्टल पर आवेदक द्वारा समस्त व्यक्तिगत जानकारी यथा नाम, जन्मतिथि, ई-मेल, फोन नम्बर सही भरेंगे तथा आधार काड, पैन कार्ड, फोटो ऑनलाइन अपलोड करेंगे। आवंटन के समय कोई जानकारी/प्रपत्र असत्य/कूटरचित पाये जाते हैं, तो पंजीकरण धनराशि जब्त कर, आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आवेदक का स्वयं का होगा।
5. नोटः- किसी भी सहायता हेतु प्रातः 10:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक कार्य दिवस में मोबाइल संख्या +91-79065 98448 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

शपथ पत्र (रू0 100/- के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

नाम श्री/श्रीमती/कुमारी..... पिता/पति का नाम श्री..... आयु..... व्यवसाय..... पूरा पता.....

मैं शपथ पूर्व बयान करता हूं/करती हूं:-

1. मैंने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की..... योजना के अन्तर्गत..... हेतु (योजना का नाम) (सम्पत्ति का विवरण) पंजीकरण संख्या..... दिनांक..... को प्रस्तुत किया गया व रू0..... पंजीकरण धनराशि दिनांक..... को प्राधिकरण खाते में ऑनलाइन जमा करायी है जिससे तारतम्य मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूं।
2. मैं बालिग हूं तथा मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है।
3. मैं प्रार्थना पत्र केवल अपने लिए ही दे रहा/रहीं हूं और इसमें किसी प्रकार का बेनामी अधिकार शामिल नहीं है।
4. मैंने पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखत नियमों/शर्तों, दशाओं, विशेष सूचनाओं, परिभाषाओं को स्पष्ट समझ लिया है तथा मैं इनके पालन का वचन देता/देती हूं।
5. आवंटित भूखण्ड/भवन के कब्जा देने में यदि भूमि अर्जन सम्बन्धी अथवा अन्य न्यायिक प्रक्रिया के कारण अथवा अन्य किसी अपरिहार्य कारण से देरी होती है, तो मुझे इस बिन्दु के आधार पर क्षतिपूर्ति का मांग करने का अधिकार नहीं होगा।
6. मुझे मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित सम्पत्ति देने की सभी शर्तों व नियम मान्य है।
7. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि जब तक सम्पत्ति का विक्रय विलेख/लीज डीड निष्पादित नहीं होने तक मुझे सम्पत्ति बेचने या गिरवी रखने का अधिकार न होगा।
8. यदि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटन उपरान्त आवेदित सम्पत्ति कब्जा मैं न लूं अथवा निर्धारित समय के अन्तर्गत मांगा गया रूपया न जमा करूंगा अथवा सम्पत्ति की रजिस्ट्री न कराऊं तथा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गयी किसी भी शर्त अथवा नियम का उल्लंघन करूं तो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को मेरे द्वारा जमा धन को नियमानुसार जब्त करने तथा सम्पत्ति का आवंटन रद्द करने तथा सम्पत्ति पर पुनः कब्जा कर लेने का पूरा अधिकार होगा।
9. ऊपर मैने जो कुछ भी कहा है वह सब मेरी जानकारी तथा विश्वास में पूर्ण सत्य है और उपरोक्त शपथ-पत्र में कुछ भी छिपाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। यदि मेरे द्वारा की गयी उपरोक्त बयानी कुछ भी गलत अथवा असत्य हो अथवा मैंने कोई महत्वपूर्ण बात छिपाई हो तो अन्य अधिकारियों के अतिरिक्त मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद के सक्षम अधिकारी को पूरा अधिकार होगा कि आवंटन/रजिस्टे्शन रद्द कर दें और इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा जमा धन को नियमानुसार जब्त कर लें और मेरे विरूद्ध जो भी कार्यवाही उचित समझें, करें उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(शपथकर्ता के हस्ताक्षर)

घोषणः- मैं एतद्वारा बयान करता/करती हूं कि मेरे द्वारा उपर्युक्त क्रमांक 01 से 10 तक दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य हैं और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

(शपथकर्ता के हस्ताक्षर)

संपर्क करें



संपत्ति विभाग

भूतल,

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

सेक्टर 13, न्यू मुरादाबाद, दिल्ली रोड

सोमवार – शनिवार | प्रातः 10 बजे – सायं 5 बजे

+91 63961 76147

+91 79065 98448

*इस पुस्तिका में प्रदर्शित चित्र केवल सांकेतिक (कॉन्सेप्ट) दृश्य हैं। वास्तविक निर्माण, विनिर्देश एवं विकसित स्वरूप स्थल की आवश्यकताओं एवं स्वीकृत योजनाओं के अनुसार भिन्न हो सकते हैं।

हिमाद्रि

योजना

सेक्टर-16B



Moradabad Development Authority
MDA
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

सेक्टर 13, नया मुरादाबाद, दिल्ली रोड

+91 79065 98448
mdamoradabad.up.gov.in
mrdda@nic.in

*नियम व शर्तें लागू।
उपयोग की गई तस्वीरें केवल प्रस्तुतीकरण हेतु हैं।

@mdambup | @mdambup | @mdambup | @mdambup